न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़, जिला बाड़मेर,

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–1

राजस्व वाद सं. 60/2025 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
जमाली पत्नी फोटा खान, जाति–मुसलमान, नि0 रेडाणा, तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान राज्य जरिये तह0 गडरारोड़, जिला बाडमेर 2. रफीक पुत्र जमाल 3. सदाम पुत्र जमाल जाति–मुसलमान, नि0 अगासडी, आसाडी, तह0 गडरारोड़ 4. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा–हरसाणी

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीनी

2. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 3

निर्णय दिनांक :–18.12.2025

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 67.5015 हैक्टेयर, वाके मौजा– पिथोरा नगर, पटवार मण्डल–आसाडी, तह0 गडरारोड़ में आया हुआ है। वादीनी के पिता हुसैन खां पुत्र कम्भीर खां ने अपने पुत्र पुत्रीयों को माफिक लिखित बंटवाडे के तहत उक्त वादग्रस्त आराजी में मौजा–गिराब तह0 शिव के नामान्तकरण संख्या 508 सन् 1976 के जयिये वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हिस्सा प्राप्त हुआ। उक्त नामान्तकरण पारित करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीनी का आम बोलचाल के घरेलू नाम व उसके पिता के साथ वल्दियत चिरमी पुत्र हुसैन खां का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण खोलते समय वादीनी स्वयं नाबालिग थी, जो उक्त नामान्तकरण का महत्व नहीं जानती थी। उक्त नामान्तकरण वादीनी के रिश्तेदारों द्वारा खुलवाये जाने के काराण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे वादीनी का नाम व वादीनी के पिता के साथ वल्दियत चिरमी पुत्री हुसैन खां दर्ज कर दिया गया। जबकि वर्तमान में वादीनी का सही नाम **जमाली** है तथा वादीनी का निकाह हो जाने से वर्तमान में वादीनी की वल्दियत अपने पति के साथ **जमाली पत्नी फोटा खान** है। वादीनी के अन्य आवश्यक दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण –पत्र, जन आधार कार्ड इत्यादि में वादीनी का सही नाम व वल्दियत **जमाली पत्नी फोटा खान** दर्ज है। वादीनी अपने नाम की एकरूपता रखने के लिए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टि **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर सही नाम व वल्दियत **जमाली पत्नी फोटा खान** की घोषणा करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 की और से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी द्वारा वकालात नाम पेश किया साथ ही जवाब [illegible] र वादीनी राजस्व वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे [illegible] रखते हुए वादीनी का नाम व वल्दियत **चिरमी पुत्र हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** होना घोषित किये जाने मे अपनी सहमती व्यक्त की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:54 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी की और से वाद कथन के समर्थन में जमाली पत्नी फोटा खान पी.डब्लयू.–1 का बयान शपथ – पत्र प्रस्तुत हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी, वादीनी के पिता हुसैन खां पुत्र कम्भीर खां ने अपने पुत्र पुत्रीयो को माफिक बंटवाडे के तहत दायर नामान्तकरण संख्या 508 सन् 1976 मौजा– गिराब तह0 शिव, वादीनी का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण – पत्र तथा जन आधार कार्ड प्रस्तुत किये।

दौराने बहस वकील वादीनी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण प्रक्रिया के दौरान लिपिकीय त्रुटि से वादीनी का नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** दर्ज किये जाने से राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हुई और इस वजह से वादीनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है। अतः वादीनी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना वास्तविक नाम **जमाली पत्नी फोटा खान** दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वादीनी का हिस्सा बैंक में रहन नहीं होने से वादीनी की अनुतोष स्वीकृति से बैंक के हितों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के वकील ने अपनी बहस में वादीनी वकील की बहस में उल्लेखित तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** घोषित किया जाना उचित बताया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध गवाह के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत अपने अन्य समस्त दस्तावेजात में उसका नाम **जमाली पत्नी फोटा खान** दर्ज है। किन्तु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में उसका नाम भूलवश **जमाली पत्नी फोटा खान** के स्थान पर **चिरमी पुत्री हुसैन खां** दर्ज होना पाया जाता हैं। लिपिकीय त्रुटि से नामान्तरकरण संख्या 508 मौजा गिराब में भूलवश उसका नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** दर्ज होना साबित है। मौखिक साक्ष्य स्वरूप गवाह जमाली के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे वादीनी का वास्तविक नाम **जमाली पत्नी फोटा खान** होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पिथोरा नगर, पटवार मण्डल–आसाडी, तहसील गडरारोड़ के खसरा नम्बर 484 रकबा 67.5015 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दियें जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर गडरारोड़, जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाडमेर

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–1)

राजस्व वाद सं. 60 / 2025 — अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादीनी	वनाम	प्रतिवादीगण
जमाली पत्नी फोटा खान, जाति–मुसलमान, नि0 रेडाणा, तह0 गडरारोड़, जिला–बाडमेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तह0 गडरारोड़, जिला बाडमेर 2. रफीक पुत्र जमाल 3. सदाम पुत्र जमाल, जाति–मुसलमान, नि0 अगासडी, आसाडी, तह0 गडरारोड़ 4. शाखा प्रवंधक, आर.एम.जी.वी. बैंक शाखा–हरसाणी

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल वकील वादीनी
2. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील प्रतिवादी संख्या 2 से 3

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते गडरारोड़, जिला-बाडमेर

अन्तिम डिक्री

वादीनी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 18.12.2025 को सहायक कलक्टर गडरारोड के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पिथोरा नगर, पटवार मण्डल–आसाडी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 67.5015 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दियें जाते है।

निर्णय आज तारीख 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar (SDO)
Date: 2026.02.18 10:18:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार–1)
सहायक कलक्टर
गडरारोड़

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–1)

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

राजस्व वाद सं. 60 / 2025

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
जमाली पत्नी फोटा खान, जाति–मुसलमान, नि0 रेडाणा, तह0 गडरारोड़, जिला–बाडमेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तह0 गडरारोड़, जिला बाडमेर 2. रफीक पुत्र जमाल 3. सदाम पुत्र जमाल, जाति–मुसलमान, नि0 अगासडी, आसाडी, तह0 गडरारोड़ 4. शाखा प्रवंधक, आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा–हरसाणी

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल वकील वादीनी
2. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील प्रतिवादी संख्या 2 से 3

सहायक कलक्टर गडरारोड़, जिला-बाडमेर
सत्यमेव जयते

अन्तिम डिक्री

वादीनी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 18.12.2025 को सहायक कलक्टर गडरारोड के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पिथोरा नगर, पटवार मण्डल–आसाडी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 67.5015 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम **चिरमी पुत्री हुसैन खां** के स्थान पर **जमाली पत्नी फोटा खान** होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दियें जाते है।

निर्णय आज तारीख 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(सुरेश कुमार–1)
सहायक कलक्टर
(SDO) गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:54 IST
Reason: SelfAttested